

परियोजना का नाम— आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी-दाबका भाग-2 से उप खनिज चूगान निकासी के संबंध में।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)!

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 18 नवम्बर 2019 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से सन्तोष कुमार पन्त, वन निरीक्षक राजस्व विभाग की ओर से नेरु कुमर (21/03/20) प्रकाश शर्मा (21/03/20) प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री अनीस अहमद, प्रभागीय प्रबन्धक, खनन प्रभाग, रामनगर द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 150.00 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य है०, वन पंचायत भूमि शून्य है० एवं नाप भूमि शून्य है० प्रभावित हो रही है। परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।

आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जिनकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अनीस अहमद) संयुक्त एजेन्सी
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
रामनगर (नैनीताल)

नेरु कुमर
21/03/20

प्रकाश शर्मा
21/03/20

राजि अधिकारी
वन निरीक्षक
रामनगर (नैनीताल)

उपजिलाधिकारी
बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
खनन प्रभाग
रामनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
नरई परिसर वन प्रभाग, रामनगर

जिलाधिकारी
ऊधमसिंह नगर